न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी	–	श्री हेतराम मूंड, आर.जे.एस.
प्रकरण संख्या	–	704/2021
सीआईएस संख्या	–	535/2018
CNR No.	–	RJHG120011572018
एफआईआर संख्या व पुलिस थाना	–	16/2018 पुलिस थाना रावतसर

राजस्थान राज्य बनाम कानसिंह

अपराध अंतर्गत धारा **279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता**

भाग प्रथम

क

परिवादी	राकेश पुत्र बृजलाल, निवासी लालगढ़ जाटान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
प्रस्तुतकर्ता	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	कानसिंह पुत्र अनाडसिंह, निवासी गोसाईसर, पुलिस थाना डुंगरगढ़, जिला बीकानेर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री जितेन्द्र सिंह जोधा, श्री हनुमान शर्मा

ख

अपराध की दिनांक	21–12–2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	12–01–2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	09–07–2018
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	09–07–2018 को मौखिक
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	11–09–2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	02–07–2026
निर्णय दिनांक	02–07–2026
सजा आदेश यदि हो तो	––––––––

ग

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश
1–	कानसिंह	–	09–07–2018	279, 337, 338 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–––

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 1	जसवंत	मालखाना में कैंटर जमा करने व कैंटर सुपुर्द करने बाबत
पी.डब्ल्यू. 2	विक्रम सिंह	वाहन मालिक कैंटर
पी.डब्ल्यू. 3	तेजिन्द्र सिंह	मैकेनिकल मुआयनाकर्ता कैंटर
पी.डब्ल्यू. 3	संजय कुमार	दुर्घटनाग्रस्त एम्बूलेंस का चालक, पक्षद्रोही
गवाह तेजिन्द्र सिंह व संजय कुमार के बयानों पर सहवन से पी.डब्ल्यू. 3 दो बार अंकित हो गया है, जिनको सुविधा की दृष्टि से उसी अनुरूप पढ़ा जा रहा है।		
पी.डब्ल्यू. 4	राकेश कुमार	परिवादी, आहत
पी.डब्ल्यू. 5	हरपाल	आहत
पी.डब्ल्यू. 6	मुकुट बिहारी	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 7	रविन्द्र	आहत

ब–बचाव गवाह

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
––––––––		

स–न्यायालय गवाह

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
––––––––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
2.	प्रदर्श पी 2	धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस
3.	प्रदर्श पी 3	रिपोर्ट मैकेनिकल मुआयना कैंटर
4.	प्रदर्श पी 4	पुलिस बयान संजय कुमार
5.	प्रदर्श पी 5	लिखित रिपोर्ट
6.	प्रदर्श पी 6	चाक एफआईआर
7.	प्रदर्श पी 7	नक्शा मौका घटनास्थल
8.	प्रदर्श पी 7 ए	हालात मौका घटनास्थल
9.	प्रदर्श पी 8	धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस
10.	प्रदर्श पी 9	फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी एम्बूलेंस
11.	प्रदर्श पी 9	फर्द जब्ती कैंटर

फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी एम्बूलेंस तथा फर्द जब्ती कैंटर पर सहवन से प्रदर्श पी 9 दो बार अंकित हो गया है, जिनको सुविधा की दृष्टि से उसी अनुरूप पढ़ा जा रहा है।

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण

निर्णय **दिनांक– 02–07–2026**

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 12–01–2018 को परिवादी श्री राकेश ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना रावतसर पर उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि ''प्रार्थी दिनांक 21–12–2017 को एम्बूलेंस नम्बर/मारूति इको आरजे 13 पीए 6180 जिसका ड्राईवर अप्रार्थी संजय कुमार को लेकर अपने पैर के इलाज के लिये जयपुर जा रहा था तो करीबन रात्रि के 11.30 बजे बरमसर पीएस चौकी धन्नासर कैंची के पास पहुंचे तो अप्रार्थी संजय कुमार ने लापरवाही तेज व गफलत से गाड़ी चलाते हुए ट्रक नम्बर आरजे 14 सीजी 2274 के साथ दुर्घटना कारित कर दी, जिसमें प्रार्थी का जख्मी पैर पूर्णतया जो सही के कगार पर था, वह बिल्कुल ही कुचल गया व दूसरे पैर के भी दो गम्भीर चोटें आई व मौके पर पूर्ण रूप से घायल हो गया था। प्रार्थी के साथ जा रहे दोनों व्यक्तियों के भी गम्भीर चोटें आई है..आदि।'' उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रावतसर पर एफआईआर संख्या 16/2018 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त कानसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का प्रसंज्ञान लिया गया।
2. बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त को आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।
3. अभियोजन की ओर से अभियोग को साबित करने के लिये कुल 08 गवाह मौखिक साक्ष्य में परीक्षित हुए व दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये, जिनका पूर्व में विवरण दिया जा चुका है। बचाव पक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।
4. अभियोजन द्वारा लेखबद्ध करवाई गई साक्ष्य का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत् अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने के संबंध में कथन किये तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।
5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि यदि एक भी विश्वसनीय गवाह के द्वारा ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हो तो मात्र उसी के बयानों के आधार पर मुलजिम की दोषसिद्धि पूर्णतः संभव है, इसलिये अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे, उक्त तर्कों के समर्थन में सम्मानित न्यायिक दृष्टांत Chittar Lal v. State of Rajasthan, AIR

2003 SC 3590, 2003(1) Suppl. SCR 633, 2003(6) SCC 397, 2003(5) SCALE 327, 2003(7) JT 270 पेश किया। जबकि इसके विपरीत मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि मुलजिम को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिये अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

6. उभयपक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के विनम्र मत में इस प्रकरण के निर्णय के लिये विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 21–12–2017 को समय लगभग रात्रि के 11.30 बजे वाके बरमसर पीएस चौकी धन्नासर कैंची के पास वाहन कैंटर संख्या आरजे 14 जीजे 2274 को तेज गति व उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए एम्बूलेंस संख्या आरजे 13 पीए 6180 पर सवार परिवादी व अन्य को टक्कर मारी, जिससे परिवादी को स्वेच्छया साधारण व गम्भीर उपहति कारित हुई?
2. यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन व विवेचन किया जाना नितांत आवश्यक है। अब यदि अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य आई है, उसका अवलोकन किया जाये तो हस्तगत प्रकरण परिवादी राकेश द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 के आधार पर दर्ज हुआ है। प्रकरण का परिवादी राकेश पीडब्ल्यू 4 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। गवाह ने अपने बयानों में दिनांक 21–12–2017 को एम्बूलेंस से इसके, हरपाल और रविन्द्र के गंगानगर से जयपुर जा रहे होने, धन्नासर कैंची से रोड़ के आगे बरमसर से पहले मोड़ पर पहुंचने पर पीछे से एक ट्रक के तेज गति से आने, जिसके चालक द्वारा इनकी एम्बूलेंस को तीन–चार बार टक्कर मारने, जिससे इन सभी को चोटें लगने, ट्रक के नम्बर आरजे 14 सीजी 2274 होने, घटना के लगभग बीस दिन बाद इसके द्वारा पीएस रावतसर में प्रार्थना पत्र देने संबंधी कथन किये हैं।

8. अन्य गवाह हरपाल पीडब्ल्यू 5 के बयानों का अवलोकन किया जाये तो यह गवाह दुर्घटना के समय परिवादी के कथनों के मुताबिक एम्बूलेंस में परिवादी के साथ था, ने अपने बयानों में दिनांक 21–12–2017 को इसके, राकेश व रविन्द्र के एक एम्बूलेंस से जयपुर जा रहे होने, इनकी गाड़ी का चालक संजय कुमार होने, रात्रि के करीब 11 बजे बरमसर के पास पहुंचने पर सड़क पर गड्ढे होने से संजय द्वारा एम्बूलेंस धीरे करने तो पीछे के कैंटर चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से कैंटर चलाकर इनकी एम्बूलेंस में टक्कर मार देने, कैंटर के नम्बर आरजे 14 सीजी 2274 होने, दुर्घटना कैंटर चालक की गलती से होने संबंधी साक्ष्य दी है।

9. अन्य गवाह पीडब्ल्यू 7 रविन्द्र जो कि परिवादी व गवाह पीडब्ल्यू 5 हरपाल के कथनों के मुताबिक एम्बूलेंस पर सवार था, के बयानों का अवलोकन किया जाये तो इसने अपने बयानों में दिनांक 21–12–2017 को इसके अपने बहनोई राकेश कुमार के साथ एम्बूलेंस में श्रीगंगानगर से जयपुर जा रहे होने, एम्बूलेंस में इसके, इसके बहनोई राकेश, हरपाल व चालक संजय के होने, रात्रि के करीब 11 बजे धन्नासर कैंची के पास पहुंचने पर आगे सड़क पर गड्ढे होने, जिसकी वजह से इनके चालक द्वारा एम्बूलेंस को धीरे–धीरे चला रहे होने, तभी पीछे से कैंटर चालक द्वारा कैंटर को तेज गति से चलाकर लाने और लाकर पीछे से इनकी एम्बूलेंस में टक्कर मार देने, जिससे इसके बहनोई राकेश कुमार के चोटें आने व इसके व हरपाल के मामूली चोटें आने, कैंटर के नम्बर आरजे 14 2274 होने संबंधी साक्ष्य दी है।

10. यह कि परिवादी/मजरूबान पीडब्ल्यू 4 राकेश, पीडब्ल्यू 5 हरपाल व पीडब्ल्यू 7 रविन्द्र के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाहों में से किसी भी गवाह के बयानों में इस प्रकार के कोई कथन नहीं है कि वरवक्त दुर्घटना वाहन कैंटर नम्बर आरजे 14 जीजे 2274 का चालक अभियुक्त कानसिंह ही हो। इसके अतिरिक्त यह कि उक्त गवाहों से मुलजिम की कोई शिनाख्तगी न्यायालय में नहीं करवाई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि वरवक्त दुर्घटना वाहन का चालक अभियुक्त कानसिंह ही हो। ऐसे में यह तथ्य पूर्णतया संदेह से परे साबित नहीं है कि वरवक्त दुर्घटना कारित वाहन का चालक अभियुक्त कानसिंह ही हो।

11. इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 3 संजय कुमार जो कि वरवक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन एम्बूलेंस का चालक था, के बयानों का अवलोकन किया जाये तो यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है व विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि कैंटर नम्बर आरजे 14 सीजी 2274 के चालक कानसिंह ने तेजी व लापरवाही से कैंटर चलाकर इनकी एम्बूलेंस के टक्कर मारी हो, जिस कारण राकेश के चोटें आई हो।

12. अन्य गवाह विक्रम सिंह पीडब्ल्यू 2 जो कि दुर्घटनाकारित वाहन कैंटर का मालिक है, के बयानों का अवलोकन किया जाये तो यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 21–12–2017 को उक्त वाहन पर चालक कौन था, इसे पता नहीं होने संबंधी कथन किये हैं। गवाह ने विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट प्रदर्श पी 2 की ताईद नहीं की है व इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 21–12–2017 को इसके वाहन 2274 पर चालक कानसिंह हो तथा कानसिंह द्वारा तेज व लापरवाही से चलाकर कोई दुर्घटना कारित की गई हो। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 3 संजय कुमार दुर्घटनाग्रस्त वाहन एम्बूलेंस का ड्राईवर होकर व गवाह पीडब्ल्यू 2 विक्रम सिंह दुर्घटनाकारित वाहन कैंटर का मालिक पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं।

13. अब यदि प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 6 मुकुट बिहारी जो कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश करने का गवाह होकर, गवाह पीडब्ल्यू 1 जसवंत दुर्घटनाकारित वाहन कैंटर को मालखाना में जमा करने व सुपुर्द करने का गवाह होकर, गवाह पीडब्ल्यू 3 तेजिन्द्र सिंह दुर्घटनाकारित वाहन कैंटर का मैकेनिकल मुआयना करने का गवाह होकर औपचारिक प्रकृति के गवाह हैं।

14. इसके अतिरिक्त यह कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 का अवलोकन किया जाये तो उसमें परिवादी ने उक्त दुर्घटना एम्बूलेंस चालक संजय कुमार द्वारा लापरवाही, तेज व गफलत से गाड़ी चलाते हुए ट्रक नम्बर आरजे 14 सीजी 2274 के साथ दुर्घटना कारित कर देने के संबंध में तथ्य अंकित किये हैं, जो तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदिग्ध बनाते हैं।

15. इस प्रकार परिवादी/मजरूबान पीडब्ल्यू 4 राकेश, पीडब्ल्यू 5 हरपाल व पीडब्ल्यू 7 रविन्द्र के बयानों के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना एम्बूलेंस व कैंटर संख्या आरजे 14 जीजे 2274 के मध्य घटित हुई है, लेकिन यह कि अभियोजन पक्ष को उक्त तथ्य के साथ–साथ यह तथ्य भी साबित करना था कि वरवक्त दुर्घटना कैंटर संख्या आरजे 14 जीजे 2274 का चालक अभियुक्त कानसिंह ही हो व उसकी उपेक्षा व लापरवाही से ही दुर्घटना घटित हुई हो।

16. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों के बयानों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त कानसिंह ही वरवक्त

दुर्घटना कैंटर संख्या आरजे 14 जीजे 2274 का चालक हो और उक्त दुर्घटना उसकी उपेक्षा व लापरवाही से घटित हुई हो।

17. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक अभियोजन अपने मामले को पूर्णतया संदेह से परे साबित न कर दे, तब तक अभियुक्त पक्ष के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने मामले को पूर्णतया संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संपुष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

18. अतः अभियुक्त कानसिंह पुत्र अनाडसिंह, निवासी गोसाईसर, पुलिस थाना डुंगरगढ़, जिला बीकानेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से संपुष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

19. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन धारा 437(क)दंड प्रक्रिया संहिता/481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, राशि 10,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

20. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन या अन्य कोई वजह सबूत, यदि सुपुर्दगी पर नहीं दिया गया है तो बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अपील नहीं होने की सूरत में उनका नियमानुसार निस्तारण किये जाने बाबत संबंधित को तहरीर जारी हो एवं यदि कोई वजह सबूत या वाहन सुपुर्दगी पर दिया गया है तो उसका सुपुर्दगीनामा–जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अपील नहीं होने की सूरत में स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

(हेतराम मूंड, आरजेएस)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर

21. निर्णय आज दिनांक 02–07–2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(हेतराम मूंड, आरजेएस)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर

SUNIL KUMAR

Steno Grade III
"Authenticated Document
Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.07.02 16:09:57 +0530